न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 02/2022

बउनवान

1. बलराम पुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी पाठेड़ा
2. नन्दलाल पुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी पाठेड़ा (मृतक)
3. छीतरलाल पुत्र पांचूलाल जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
4. संतोषबाई पत्नि बंशीलाल जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
5. मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां

(अपीलांट्स)

बनाम

1. कल्याणीबाई पत्नि स्व0 रामकर्णा जाति धाकड़
2. किशनलाल पुत्र रामकर्णा जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
3. गीताबाई पुत्री रामकर्णा जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
4. बंशीलाल पुत्र रामकर्णा जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
5. बिरधीबाई पुत्री रामकर्णा जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
6. भवानीशंकर पुत्र रामकर्णा जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
7. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकर्णा जाति धाकड निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां, राज0
8. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां (रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय मिसल नं. 2/2020 बउनवान बलराम वगैरह बनाम कल्याणी वगैरह निर्णय दिनांक 15.02.2021 न्यायालय तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 03.01.2023

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 15.02.2021 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उक्त प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र इन[illegible] के साथ पेश किया कि ग्राम पाठेड़ा की आराजी खसरा नंबर 50 रकबा 1.64 है. 51 [illegible] 69 है. 52 रकबा 0.96 है., 64 रकबा 1.83 है., 67 रकबा 1.59 है. [illegible] खसरा नंबर 65 व 66 पर से होकर अपने पूर्वजों के समय से ही आते जाते व कृषियंत्रों को ला[illegible]जाने में उपयोग उपभोग कर रहे हैं। ग्राम पाठेड़ा के हाल खसरा नंबर 65 व 66 का ब[illegible] से पूर्व साबिक खसरा नंबर 39 मिन था जिसका रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज था परन्तु गत सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट कार्मिकों द्वारा उक्त खसरा नंबर को गलत रूप से रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested

के पिता रामकर्णा के नाम दर्ज कर दिया उक्त आराजीयात पर रेस्पो0 के पिता का नाम दर्ज होने के बावजूद भी अपीलांटगण उसी रास्ते से होकर अपने खेतों में निर्बाध रूप से आते जाते रहे हैं और कृषि यंत्रों को लाते ले जाते रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर बिना रेस्पोडेन्ट का जवाब लिये तथा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना अपीलांटगण का आवेदन विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि रेस्पोडेन्टगण के पिता रामकर्णा वल्द माधो को खसरा नंबर 39 की मात्र 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमन हुई थी तथा वर्तमान में सम्पूर्ण आराजीयात किस प्रकार रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज हुई इस बाबत कोई जवाब रेस्पोडेन्टगण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व में स्थित रास्ते पर यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम उक्त बाधा हटाने हेतु सक्षम है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण इस दिशानिर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपीलांट क्रम 2 की मृत्यु होने बाबत पेश किया जिस पर अभिभाषक अपीलांट ने **"मृतक नन्दलाल की हद तक अबेट कर दिया जावे"** अंकित किया। अतः प्रकरण **"मृतक अपीलांट क्रम 2 नन्दलाल की हद तक प्रकरण अबेट किया जाता है।"** तत्पश्चात हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन नही कर निर्णय पारित किया है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण के पिता रामकर्णा वल्द माधो को साबिक खसरास नंबर 39 की मात्र 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमन की गई थी जबकि मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2012–24 साबिक खसरा नंबर 39 का रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुम. रास्ता दर्ज थी। तथा जमा[illegible] साबिक खसरा नंबर 39 मिन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैर मुम. रास्ता [illegible] परन्तु गत सेटलमेन्ट संवत 2038–57 में बन्दोबस्त कार्मिकों ने साबिक [illegible] नंबर 65 रकबा 0.68 है. तथा हाल खसरा नंबर 66 रकबा [illegible] क्षेत्रफल कायम कर रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प[illegible]री हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 के अनुसार भी विवादित आराजीयात पर पूर्व से प्रचलित रास्ता होना साबित होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि अपीलांटगण रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज आराजीयात में होकर रास्ता चाहते हैं। हाल खसरा नंबर 65 व 66 वाके ग्राम पाठेड़ा के रेस्पोडेन्टगण रेकार्डेड खातेदार हैं। यदि बन्दोबस्त के दौरान गल्ती हुई थी तो अपीलांटगण उसे दुरूस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते। रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत छायाप्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.05.2020 से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से ही उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट का कोई जवाब पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पाठेड़ा की आराजी खसरा नंबर 65 रकबा 0.68 है. एवं 66 रकबा 0.34 है. रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी में दर्ज होने एवं उसमें से रास्ता चाहने तथा यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 के अनुसार खसरा नंबर 65 व 66 में मौके पर 4 मीटर चौड़ाई में आवागमन हेतु कच्चा रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा कृषि हेतु किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार " पूर्व में स्थित रास्ते पर यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो तहसीलदार उक्त बाधा हटाने हेतु सक्षम है।" अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 पर बिना गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested